प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.11.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आर्थिक लाभ कमाने एवं मुकदमे में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छुपाते हुए लोक सेवक (रिटार्यड आईपीएस) का प्रतिरुपण कर अधिकारीगण/कर्मचारीगण व अन्य लोगों पर दवाब बनाने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व लोगों के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी कर जबरन अवैध वसूली करने वाले गिरोह गिरफ्तार।

दिनांक 20.11.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी उ0नि0 नीरज राठौर पी0आर0ओ0 पुलिस उपायुक्त,कार्यालय जोन ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आर्थिक लाभ कमाने एवं मुकदमे में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छुपाते हुए अपने आप को 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस बताकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा पुलिस के विरुद्ध मुकदमा लिखवाकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त 1. अनिल कटियाल पुत्र स्व0 चेतराम कटियाल निवासी W -153 जीके फर्स्ट ,न्यू दिल्ली 110048 उम्र 68 वर्ष व 2. विनोद कपूर पुत्र स्व0 गुरदास कपूर निवासी सी 43 सिरीस रोड थाना डीएलएफ फेस 03 गुरुग्राम हरियाणा उम्र 69 वर्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक क्रम में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी करना, लोक सेवक का प्रतिरुपण कर अधिकारीगण/कर्मचारीगण व अन्य लोगों पर अनैतिक दवाब बनाने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा जबरन अवैध वसूली करना पाया गया। उपरोक्त के क्रम में दिनांक 20.11.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अनिल कटियाल पुत्र स्व0 चेतराम कटियाल उपरोक्त को थाना ग्रेटर कैलाश, दिल्ली व अभियुक्त विनोद कपूर पुत्र स्व0 गुरदास कपूर उपरोक्त थाना डीएलएफ फेज 03, गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कटियाल पुत्र स्व0 चेतराम कटियाल उपरोक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्त विनोद कपूर पुत्र स्व0 गुरदास कपूर उपरोक्त के साथ मिलकर थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 938/24 धारा 420/406/504/506 भादवि0 में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छिपाते हुये अपने आप को वर्ष 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस (मणिपुर कैडर) व आईबी में नियुक्त रहने तथा वर्तमान में गृह मंत्रालय में सलाहकार के रुप में कार्यरत होना बताया गया।

अभियुक्त अनिल कटियाल के द्वारा उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त विनोद कपूर की मदद करने के उद्देश्य से दिनांक 14.11.2024 को पी0आर0ओ0 पुलिस उपायुक्त, कार्यालय जोन ट्रांस हिण्डन तथा उसके उपरान्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियबाद के कार्यालय में तैनात उ0नि0 कृष्ण कुमार शर्मा के सरकारी मो0 नं0 पर दो बार काल कर दबाब बनाया गया तथा विवेचक के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा का मुकदमा लिखाने की धमकी दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पृष्ठभूमि

अभियुक्त अनिल कटियाल मूल रूप से W -153 जीके फर्स्ट ,न्यू दिल्ली का निवासी है, इसके पिता स्व0 चेतराम कटियाल एक आईआरएस अधिकारी रहे है, तथा अनिल कटियाल की प्राथमिक पढ़ाई सेंट कोलम्बस स्कूल तथा कालेज की पढ़ाई सेंट स्टीफन्स कालेज में वर्ष 1973 से 1978 तक हुई है, इसके उपरान्त अनिल कटियाल ने वर्ष 1979 में यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा दी, जिसमें वह असफल रहा जिसके उपरान्त वह वर्ष 1979 में पीएचडी की पढ़ाई करने हेतु येल यूनिवर्सिटी, यू0एस0ए0 (YALE UNIVERSITY, USA) गया तथा वर्ष 1980 में पीएचडी की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस आ गया, उसके उपरान्त अनिल कटियाल वर्ष 1980 से 2000 तक हिन्दुस्तान लीवर (तत्कालीन नाम) कम्पनी में प्रबन्धक के पद पर कार्यरत रहा तथा वर्ष 2000 से 2005 तक यामाहा कम्पनी में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त रहा तथा वर्ष 2005 से 2015 तक वोडाफोन कम्पनी में वाइस प्रैसिडेन्ट, कॉरपोरेट अफेयर्स के पद पर कार्य करते हुये सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद अभियुक्त अनिल कटियाल ने लोगों को अपना परिचय 1979 बैच का आईपीएस देकर ठगना शुरू किया।

विनोद कपूर मूल रूप से सी 43 सिरीस रोड थाना डीएलएफ फेस 03 गुरुग्राम हरियाणा का निवासी है तथा उसके द्वारा सरकारी रक्षा निर्माण क्षेत्र में काम किया गया है। उसने वर्ष 1976 में भारत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, राजस्थान में काम किया व वर्ष 1988 में भारत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ पार्टनरशिप कर दिल्ली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनायी। अब तक विनोद कपूर द्वारा दिल्ली, पालम, सरसावा एयरपोर्ट व ग्वालियर एयरबेस जैसे महत्तवपूर्ण जगहों के हैंगर, रनवे, कम्पाउण्ड वॉल का निमार्ण कराना बताया गया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है।

अभियुक्तगणों की मुलाकात करीब 15 दिवस पूर्व गुरविन्दर सिंह के माध्यम से हुई थी। गुरविन्दर सिंह दुबई में ट्रेडिंग का व्यवसाय करता था। अभियुक्त अनिल कटियाल की मुलाकात गुरविन्दर सिंह से राज साहनी उर्फ बलविन्दर साहनी के माध्यम से हुई। राज साहनी उर्फ बलविन्दर साहनी दुबई स्थित एक अरबपति रियल स्टेट कारोबारी है, जिसे अबू साबा के नाम से भी जाना जाता है। राज साहनी उर्फ बलविन्दर साहनी और उसका बेटा साबाह सिंह साहनी और सुमित साहनी फरवरी 2024 से 100 मिलियन यू0ए0ई0 डॉलर की धोखाधड़ी में यू0ए0ई0 में निरूद्ध है। अभियुक्त अनिल कटियाल के उक्त राज साहनी उर्फ बलविन्दर साहनी से अच्छे सम्बन्ध पाये गये हैं, जिसकी मदद हेतु अभियुक्त अनिल कटियाल द्वारा अपनी फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया गया है।

अभियुक्त अनिल कटियाल ने अपने आप को 1979 बैच का आईपीएस बताकर दिल्ली एनसीआर के कई उच्चाधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किये और अपनी इस फर्जी पहचान का दवाब बनाकर अनुचित आर्थिक लाभ उठाया, जिसमें दिल्ली के एक उच्च पुलिस अधिकारी को 1979 बैच का रिटार्यड आईपीएस बताकर Dramz Whishkey Bar & Lounge Pvt. Ltd कम्पनी के लिये बार लाईसैन्स बनवाया, वैसे ही दिल्ली के आर0टी0ओ0 व आबकारी विभाग में अपने आप को रिटायर्ड आईपीएस बताकर अनुचित लाभ उठाया है। अभियुक्त अनिल कटियाल ने मा0 विदेश मंत्री को अपने कॉलेज का सहपाठी बताकर उनसे भी अपाइन्टमेन्ट लेने कि कोशिश कर राज साहनी उर्फ बलविन्दर साहनी की मदद करने का प्रयास किया गया। अभियुक्त अनिल कटियाल द्वारा अपने आप को 1979 बैच का आईपीएस अधिकारी बताकर ए0टी0एस0 कन्ट्रोल रूम में कॉल करके पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद का सरकारी नम्बर प्राप्त किया गया।

अधिक पूछताछ करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अनिल कटियाल के परिवार में उनके पिता एक आईआरएस अधिकारी रहे हैं तथा उसके चचेरे भाई भी एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिसके कारण उसकी अधिकारियों से शुरूआत से ही जान पहचान बनती गयी तथा सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढाई के दौरान बने मित्रों में से यू0पी0एस0सी0 परीक्षा पास कर बने अधिकारियों के साथ दोस्ती बढ़ाकर अन्य अधिकारियों के साथ उठना बैठना शुरू किया तथा वोडाफोन में कॉरोपोरेट अफेयर्स में वाइस प्रैसिडेन्ट के पद पर कार्यरत होने के दौरान उसकी कई आईएएस, आईपीएस और अन्य उच्च अधिकारियों से जान पहचान बनती गयी। इस सभी जान पहचान का फायदा उठाकर अभियुक्त अनिल कटियाल ने अपने

आप को 1979 बैच का आईपीएस अधिकारी बताना शुरू किया और सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से धोखाधड़ी से दलाल एवं लाइज्नर के रूप में काम कराना शुरू किया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. अनिल कटियाल पुत्र स्व0 चेतराम कटियाल निवासी W -153 जीके फर्स्ट ,न्यू दिल्ली 110048 उम्र 68 वर्ष।
2. विनोद कपूर पुत्र स्व0 गुरदास कपूर निवासी सी 43 सिरीस रोड थाना डीएलएफ फेस 03 गुरुग्राम हरियाणा उम्र 69 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कटियाल पुत्र स्व0 चेतराम कटियाल उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा अभियुक्त विनोद कपूर पुत्र स्व0 गुरदास कपूर उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 21.11.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त निक्की पुत्र राजू निवासी एन0सी0आर हॉस्पिटल के पीछे सोम बाजार थाना खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को इतवार पुस्ता चौकी क्षेत्र खोडा गांव से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निक्की पुत्र राजू उपरोक्त द्वारा 01 स्कूटी और चोरी करना बताया गया। जिसको अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर नगरपालिका के शौचालय के सामने दूसरी रोड पर खडे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निक्की पुत्र राजू उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त निक्की पुत्र राजू उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त से बरामद मोटर साइकिल खोडा व स्कूटी मकनपुर खोडा से चोरी की थी। अभियुक्त उपरोक्त को जब कोई काम नही मिलता है तो चोरी की घटना कारित करता है, यह पहले भी नोएडा से जेल जा चुका हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

निक्की पुत्र राजू निवासी एन0सी0आर हॉस्पिटल के पीछे सोम बाजार थाना खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त निक्की पुत्र राजू उपरोक्त के विरूद्ध चोरी से सम्बन्धित थाना खोडा पर 02 अभियोग, इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग व गौतमबुद्धनगर के थाना सैक्टर 63 पर 04 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना खोडा पुलिस टीम।